

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,  
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

द्वारा:- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक-20/3/2019

विषय:- इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना को स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत इंटर्न्स गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण हेतु रु० 10,00,00,000/- (रुपये दस करोड़) मात्र के सहायक अनुदान की विमुक्ति की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना की स्थापना राज्य में अतिविशिष्ट विषयों में उच्च स्तर की चिकित्सा सेवाओं और चिकित्सा शास्त्र विषयों के क्षेत्र में सेवा अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के निमित्त की गई है। राज्य में सरकारी प्रक्षेत्र में विशिष्ट प्रकार की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की समुचित सुविधा एकमात्र इसी संस्थान में है।

2- संस्थान से इंटर्न्स गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण हेतु सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण मद में उपबधित राशि की विमुक्ति के प्राप्त अनुरोध के आलोक में इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना को स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत इंटर्न्स गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण हेतु रु० 10,00,00,000/- (रुपये दस करोड़) मात्र के सहायक अनुदान की विमुक्ति की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है-

(i) संस्थान को चिन्हित योजना/कार्य की स्वीकृति संस्थान के शासी निकाय से प्राप्त करना आवश्यक होगा। नियमानुसार सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलनों के साथ प्रस्ताव शासी निकाय के समक्ष ले जाया जायेगा।

(ii) योजना/कार्य की स्वीकृति एवं इनके क्रियान्वयन में वित्त नियमावली, पी०डब्ल्यू०डी० कोड एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों का अनुपालन कराने की पूर्ण जिम्मेवारी निदेशक, इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना की होगी।

(iii) किसी भी अन्य योजना से प्रारंभ की गई योजना को इस राशि से पूर्ण नहीं किया जायेगा।

(iv) संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि चिन्हित योजना/कार्य संस्थान के हित में है एवं इस कार्य को इस राशि से सम्पन्न कराना आवश्यक है तथा चिन्हित योजना/कार्य पर विगत तीन वर्षों में किसी भी प्रकार का व्यय नहीं हुआ हो।

(v) कार्य को निर्धारित अवधि में वांछित गुणवत्ता के साथ सम्पन्न कराने की सारी जवाबदेही निदेशक, इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना की होगी।

(vi) संस्थान पूर्व में उपलब्ध कराये गये एवं वर्तमान में उपलब्ध कराई जा रही राशि का महालेखाकार कार्यालय से समायोजन, निर्धारित समयावधि में कराया जाना सुनिश्चित करेगी।

3- यह राज्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि०(2), दि०-17.04.98, 2880/वि०(2), दि०-06.05.06, 96/वि०(2), दि०-09.01.08 सहपठित संकल्प सं०-2190/वि०(2) दि०-17.03.08, 2938/वि०(2), दि०-08.04.08, 3388/वि०(2), दि०-18.04.11, 3758/वि०, दिनांक-31.05.2017 एवं 4443/वि०, दिनांक-14.06.2018 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।



4- इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0017-इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय, विपत्र कोड-20-2210051050017 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में विषय शीर्ष 31-सहायता अनुदान में 0017.31.05 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण ईकाई से किया जायेगा।

5- इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना एक स्वशासी संस्थान है, अतएव इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

6- अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म-46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से निदेशक, इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट सं0-PLA319 विपत्र कोड-K-8448001200068 में जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे और उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में प्रशासी विभाग के माध्यम से महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराएँगे।

7- इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी।


8- इस राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9- प्रस्ताव में माननीय स्वास्थ्य मंत्री की सहमति संचिका संख्या- 1/आई0-04/2019 के पृष्ठ-.....5...../टि0 पर दिनांक-18/03/19 को प्राप्त है।

10- प्रस्ताव एवं प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-1/आई0-04/2019 के पृष्ठ-...13.../टि0 पर प्राप्त है।

11- यह मात्र राज्यादेश है। आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
(राधेश्याम साह)


सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:-1/आई0-04/2019- 392(1) /स्वा0, पटना, दिनांक-20/3/2019

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/निदेशक, इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1 एवं संबंधित सहायक को अतिरिक्त प्रतियाँ के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
सरकार के विशेष सचिव